न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–06/2007–08

शैलेश कुमार सिंह वगैरह बनाम मोस्मात प्रभावती सिन्हा

(Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
20/7/18	**आदेश** आवेदकगण के द्वारा यह पुनरीक्षण वाद भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा विविध वाद सं0 02/2006–07 में दिनांक 17.04.2007 को पारित आदेश के विरूद्ध समाहर्ता, पटना के न्यायालय में दायर किया गया था, जो वाद में सुनवाई हेतु इस न्यायालय में स्थानान्तरित किया गया। इस वाद के पक्षकार निम्न प्रकार है। **प्रथम पक्ष** 1. शैलेश कुमार सिंह, 2. सतीश कुमार सिंह, 3. सुधीर कुमार सिंह, सभी के पिता स्व0 देवलाल सिंह, ग्राम–नरगदा, थाना–शाहपुर, जिला–पटना **द्वितीय पक्ष** 1. मोस्मात प्रभावती सिन्हा, पति स्व0 दीप नारायण सिंह, मोहल्ला–कृष्णापुरी, मकान सं0 59डी0, थाना–श्रीकृष्णापुरी, जिला–पटना। न्यायालय में दिनांक 13.03.2008 एवं उसके बाद की तिथियों में अवगत कराया गया कि विपक्षी मोस्मात प्रभावती सिन्हा की दिनांक 11.08.2007 को मृत्यु हो चुकी है। उनका कोई वारिस नहीं है। आवेदकगण को इस आशय का शपथ–पत्र दायर करने का आदेश दिया गया था। दिनांक 11.01.2017 को श्री शैलेश कुमार सिंह (आवेदक सं0 1) के द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र दाखिल किया गया कि मोस्मात प्रभावती सिन्हा की दिनांक 11.08.2007 को निःसंतान स्थिति में मृत्यु हो चुकी है। उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर वाद को एक पक्षीय सुनवाई हेतु रखा गया। दिनांक 11.10.2017 को श्री सुधीर कुमार, ट्रस्टी कम चेयरमेन डी0एन0सिंह मेमोरियल के द्वारा इस वाद में इन्टरवेनर बनने हेतु आवेदन दिया गया। दिनांक 11.10.2017 को ही आवेदकगण के द्वारा लिखित बहस दाखिल की गयी। श्री सुधीर कुमार के दिनांक 11.10.2017 के आवेदन पर आवेदकगण के द्वारा दिनांक 02.06.2018 को प्रतिउतर दायर किया गया। दिनांक 17.07.2018 को श्री सुधीर कुमार के 11.10.2017 के आवेदक एवं आवेदकगण के दिनांक 02.06.2018 के प्रतिउतर पर सुनवाई की गयी। श्री सुधीर कुमार के द्वारा श्रीमती प्रभावती सिन्हा के द्वारा की गयी	

वसीयत के आधार पर स्वंय को प्रभावती सिन्हा का वैंधानिक उतराधिकारी के रूप में इस वाद में पक्षकार बनाये जाने का अनुरोध किया गया है।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा इसका विरोध करते हुए कहा गया कि उक्त वसीयतनामा का प्रोवेट नहीं हुआ है, अतः श्री सुधीर कुमार को मोस्मात प्रभावती सिन्हा का वारिस नहीं माना जा सकता।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनकर श्री सुधीर कुमार के दिनांक 11.10.2017 का आवेदन अस्वीकृत किया गया।

इस वाद का संक्षेप में मामला यह है कि

(1) मो0 प्रभावती सिन्हा के द्वारा दानापुर अंचल अंतर्गत मौजा जमसौत में इस वाद के आवेदकगण तथा उनके पिता के नाम से कायम जमाबंदी सं0 48, 76, 97, 98, 99, 1552 एवं 1553 को निरस्त करने हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के न्यायालय में वाद लाया गया। प्रभावती सिन्हा के द्वारा बताया गया कि पारिवारिक सम्पति का अभी बंटवारा नहीं हुआ है। तथाकथित जमाबंदियाँ बिना सक्षम आदेश के खोल दी गयी है। मो0 प्रभावती सिन्हा के द्वारा बिना सक्षम आदेश के कायम इस जमाबंदियों को रद्द करते हुए आवेदकगण के पिता देवलाल सिंह एवं मो0 प्रभावती सिन्हा के नाम से संयुक्त जमाबंदी कायम करने का अनुरोध किया गया।

(2) भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा सुनवाई के क्रम में पाया गया कि जमाबंदी सं0 48 देवलाल सिंह, जमाबंदी सं0 76, प्रभावती देवी, जमाबंदी सं0 97, शैलेश कुमार सिंह, जमाबंदी सं0 1552 शैलेश कुमार सिंह, जमाबंदी सं0 1553 शैलेश कुमार सिंह, जमाबंदी सं0 98 सतीश कुमार सिंह एवं जमाबंदी सं0 99 सुधीर कुमार सिंह के नाम से बिना सक्षम आदेश से कायम है।

(3) भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई के पश्चात दिनांक 17.04.2007 को सम्पूर्ण भूखण्ड की जमाबंदी वादी प्रभावती सिन्हा एवं प्रतिवादी शैलेश कुमार सिंह, सतीश कुमार सिंह एवं सुधीर कुमार सिंह के नाम संयुक्त रूप से कायम करने का आदेश अंचलाधिकारी, दानापुर को दिया गया, क्योंकि सुनवाई के दौरान प्रतिवादी देव लाल सिंह की मृत्यु हो चुकी थी। भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा अंचलाधिकारी, दानापुर को यह भी आदेश दिया गया कि यदि वादी, प्रतिवादी आपसी बंटवारा कर नामान्तरण हेतु अनुरोध करते है तो नियमानुकूल नामान्तरण की कार्रवाई की जाय।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के दिनांक 17.04.2007 के उसी आदेश के विरूद्ध यह पुनरीक्षणगण दायर किया गया है।

सम्यक विचारोपरान्त **मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि**

1) मामला पारिवारिक सम्पति के बंटवारा का है। मोस्मात प्रभावती सिन्हा की मृत्यु हो चुकी है। मोस्मात प्रभावती सिन्हा के हिस्से के भूखण्ड का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसका निर्णय सक्षम व्यवहार न्यायालय से ही किया जा सकता है।

(2) प्रश्नगत भूखण्ड को लेकर इस वाद के आवेदकगण के द्वारा मोस्मात प्रभावती सिन्हा एवं अन्य के विरूद्ध सब जज प्रथम, दानापुर के न्यायालय में स्वत्व वाद सं0 101/2007 दायर किया गया है, जो अभी लंबित है।

उपर्युक्त वर्णित परिस्थिति में प्रश्नगत भूखण्ड के संबंध में इस न्यायालय से किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना उचित एवं विधि सम्मत नहीं होगा। आवेदकगण सक्षम व्यवहार न्यायालय से ही भूमि के स्वामित्व एवं हिस्सेदारी के संबंध में न्याय निर्णय प्राप्त करें।

पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत करते हुए, वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

30/7/16

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना

30/7/16

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना